न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 73 / 2018

1 सुखाराम पुत्र हणमान।
2 दुर्गालाल पुत्र रामदेव।
3 लालाराम उर्फ लालचन्द पुत्र रामदेव समस्त जाति कुमावत निवासीगण सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कानाराम पुत्र हणमान।
2 श्रीमती तीजू देवी पत्नी हणमान।
3 श्रीमती मूली पत्नी झाबरमल।
4 बजरंगलाल पुत्र झाबरमल।
5 भागीरथ पुत्र रामदेव।
6 श्रीमती छोटी पत्नी रामदेव।
7 श्रीमती विमला पत्नी गिरधारीलाल।
8 महिपाल आयु वर्ष पुत्र गिरधारी अवयस्क जरिये संरक्षिका माता विमला समस्त जाति कुमावत निवासीगण सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिंगरावट।
10 उप पंजियक धोद।
11 तहसीलदार धोद।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 68/2016 उनवानी कानाराम बनाम सुखाराम आदि दिनांकित 28.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 68/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर के समक्ष अपीलाधीन वाद बाबत बंटवारा, उदघोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ ग्राम सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 2.56 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.87 हैक्टेयर के सम्बंध में प्रस्तुत अपील के अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 11 को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए दिनांक 08.07.2016 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलाधीन वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये, जिसमें से कुछ प्रतिवादीगण की ओर से जरिये वकील उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। वकालतनामा प्रस्तुत होने के बाद में पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी व जवाब दावा व जवाब आवेदन के लिए चल रही थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली दिनांक 28.05.2018 को तलब कर राजस्व कैम्प कोर्ट मोरडूंगा में भिजवा दी गई, जिसकी सूचना अपीलांट पीड़ित पक्षकार व उसके अधिवक्ता को नहीं दी गई और बिना अपीलांट को सूचना दिए बिना ही दिनांक 28.05.2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। जिसकी जानकारी अपीलांट को पूर्व में नहीं हो पाई। दिनांक 15.06.2018 को हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि की मौका की रिपोर्ट हेतु अपीलांट को सूचित करने पर उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रकरण में सीधे ही दिनांक 28.05.2018 को विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विभाजन की बाई मिटस एण्ड बाउन्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। इस निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट को कोई आपत्ति है तो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने जवाब प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य लिये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना प्रकरण में सीधे ही दिनांक 28.05.2018 को विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया अपनाकर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर